निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1932 (श0)
(सं0 पटना 789) पटना, मंगलवार 21 दिसम्बर 2010

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

13 दिसम्बर 2010

एस०ओ० 240, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 संचिका सं० बिक्री–कर / विविध–57 / 2009–5507–बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार–राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप–धारा (3) द्वारा यथापेक्षित एतद्द्वारा सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है।

2. दिनांक 10 जनवरी, 2011 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19 क में संशोधन–उक्त नियमावली, 1984 का नियम 19क (2) का उप–नियम निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा–

"(2) इस बात का विचार किये बिना कि मनोरंजन प्रदान करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसी सेवा या माल की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है जिसके लिए

किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जाती है, धारा–3ककक के अधीन भुगतेय कर की समेकित राशि का भुगतान मनोरंजन प्रदान करनेवालों द्वारा अंशदाता को दिये गये प्रत्येक संबंधन के लिए सकल संग्रहण के पन्द्रह प्रतिशत प्रतिमाह की दर से किया जायेगा''।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जे०आर०के० राव,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

13 दिसम्बर 2010

एस०ओ० 241, एस०ओ० 240, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010—संचिका सं०–बिक्री–कर / विविध–57 / 2009–5507, का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जे० आर० के० राव,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 13th December 2010

S.O. 240, dated 21st December 2010, File No. Bikri Kar/Vividh-57/2009–5507—In exercise of the powers conferred by Section -21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar Proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 the draft of which is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information.

2. Any objection of suggestion received on or before 10th January, 2011 will be considered by the State Government.

AMENDMENTS

Amendment of rule 19A of the Bihar Entertainments 'Tax Rule, 1984:- Sub rule (2) of Rule 19A of the said Rules, 1984 shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The consolidated amount of tax payable under section 3AAA shall be paid by the entertainment provider for each connection given to the subscriber at the rate of fifteen per centum of the gross collection per month irrespective of whether exhibition of programmes by the entertainment provider is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person."

By order of the Governor of Bihar,

J. R. K. RAO,

Commissioner-cum-*Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 789-571+1000-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in